

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 तिथि

विधायक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2001 (भाज 12, 1923)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर किये जायेंगे।

2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नक्रम।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री, अनुप मिश्रा, सदस्य, मुरैना जिले के सरस्वती नगर में एक महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री नित्यानिरेजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के गोसलपुर ग्राम में स्थित संघर्ष उपक्रम बढ़ होने से उत्पन्न रिक्ति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के -

- (क) ग्राम भोगाँवा स्थित माध्यमिक शाला का उच्चयन कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम पंचायत भोगाँवा के कुषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(2) श्री धूलसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

- (क) नरसिंहगढ़-बेरसिया मार्ग से ग्राम हिनोती तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम रोसला में प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल के लिए भवन निर्माण कराये जाने,

(3) श्री लालसिंह, सदस्य, खण्ड जिले के ग्राम एण्डोरी में हाई स्कूल खोले जाने,

(4) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, पञ्चा जिले के ग्राम जिगदहा में हाई स्कूल खोले जाने,

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

- (क) ग्राम पिपराही मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ख) ग्राम पिपराही स्थित हाई स्कूल का उच्चयन कराये जाने,
(ग) ग्राम पिपराही से जड़कुड़ तथा पिपराही से बहेराडाबर तक सड़क बनाये जाने,
(घ) ग्राम मलैगांव में हाई स्कूल खोले जाने,
(ङ) ग्राम जड़कुड़ स्थित पुर्व माध्यमिक विद्यालय का उच्चयन कराये जाने,
(च) हनुमना-शाहपुर-बहुलीकाल मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा
(छ) ग्राम मलैगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(6) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के -

- (क) ग्राम डिझोखर में उप-स्काल्य केन्द्र खोले जाने; तथा
(ख) ग्राम जिन्दपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री हरवेश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वृक्षों का परिक्षण (नगरीय क्षेत्र) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

6. प्रतिवेदन पर चर्चा

निर्धारित

समय
2 घन्टे

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा।



7. नियम 139 के अधीन अधिलमनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा
उमा
30 मि.

मध्यप्रदेश में बिगाड़ी कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, हरीशंकर आयशवाल (हरि भैया), नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नाथक, भूषेन्द्र सिंह, अनुप मिश्रा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रसाल सिंह, कुंवर विजय शाह, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री रणवीर सिंह एवं श्री लालसिंह, सदस्यपाण, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :
दिनांक : 1 सितम्बर, 2001

डॉ. प. के. पाण्डी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.